मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0- 27 /2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः अगस्त 17 ,2021

विषयः- रिट पिटीशन (हैवियस कार्पस) संख्याः 550/2021 संगीता सिंह तोमर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.08.2021 के अनुपालन के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिट याचिकाओं तथा जमानत प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर Instructions उपलब्ध कराये जाने संबंधी दिशा-निर्देश पार्श्वांकित शासनादेशों एवं डी0जी0 परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये है, किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

शासनादेश सं0-206/छः-पु0-9-19-31(2)/2019 दि0- 05.02.2019
शासनादेशसं0-25पी/6-पु0-3-2010-2(16)पी/09 दि0- 07.01.2010
डीजी परिपत्र सं0 -10/2021 दि0-03.03.2021
डीजी परिपत्र सं0 -37/2020 दि0-22.10.2020
डीजी परिपत्र सं0 -51/2019 दि0-05.12.2019
डीजी परिपत्र सं0 -24/2018 दि0-24.05.2018
डीजी परिपत्र सं0 -11/2017 दि0-22.05.2017
डीजी परिपत्र सं0 -34/2016 दि0-10.06.2016
डीजी परिपत्र सं0 -30/2015 दि0-28.04.2015
डीजी परिपत्र सं0 -24/2015 दि0-15.04.2015
डीजी परिपत्र सं0 -71/2014 दि0-24.11.2014
डीजी परिपत्र सं0 -65/2014 दि0-17.10.2014
डीजी परिपत्र सं0 -71/2013 दि0-13.12.2013

रिट पिटीशन (हैवियस कार्पस) संख्याः 550/2021 संगीता सिंह तोमर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता के पास Instructions प्राप्त न होने के कारण सुनवाई में हुए विलम्ब पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है-

"Since the instructions are not being received by the learned AGA, therefore, we issue a general mandamus to the State authorities as under:-

(i) The respondent no. 1 i.e. Chief / Additional Principal Secretary Home, UP Government, Lucknow and Principal Secretary, Law, UP Government, Lucknow shall evolve a mechanism with suitable infrastructure at the office of Government Advocate at Allahabad as well as at Lucknow for immediate communication of Habeas Corpus Writ Petitions and other Criminal Misc. Writ Petitions involving serious matters excluding N.S.A. matters to the Police Commissioner or Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police, as the case may be, of the district concerned.

(ii) The office of Government Advocate at Allahabad as well as at Lucknow, shall send through e mail or Fax or by any speedy mode, a copy of such writ petitions along with its annexures to the Police Commissioner or Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police, as the case may be, of the concerned district, on the date of receipt of notice.

(iii) The Police Commissioner or Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police, as the case may be, shall send complete instructions to the Government Advocate within next 24 hours, either by email or through a competent officer conversant with the matter.

(iv) Respondent no. 1 shall ensure that in the event of any lapse on the part of district level police authority as aforementioned or the authorities subordinate to them, appropriate action shall be taken against them.

(v) Respondent no. 1 and Director General of Police, UP at Lucknow shall ensure compliance of the aforesaid directions forthwith. "

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0 तथा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 Habeas Corpus रिट पिटीशन तथा NSA के अतिरिक्त अन्य गम्भीर प्रकरणों से संबंधित रिट याचिकाओं में Instructions 24 घंटे के अन्तर्गत ई-मेल अथवा भिज्ञ अधिकारी के माध्यम से शासकीय अधिवक्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन किये जाने में किसी स्तर पर शिथिलता होने की दशा में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है, अतः समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

17/8

(मुकुल गोयल)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0 ।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0 ।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।